

राजस्थान सरकार
कृषि (युप-3) विभाग

क्रमांक-प 8(33)कृषि-3/2018

जयपुर, दिनांक: 09.10.2020

समन्वयक,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2020
कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।

विषय:-जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर को संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2020 में सम्मिलित करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर को कृषि संकाय (बी.एस.सी एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम) में संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2020 के माध्यम से 120 (अक्षरे एक सौ बीस) छात्र काउंसलिंग के आधार पर सत्र 2020-21 के लिए आवंटित किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अनुसार एतद द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. उक्त विश्वविद्यालय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार Accreditation (मान्यता) लेना सुनिश्चित कर विभाग को अवगत करायेगें।
2. उच्च शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 18.01.2018 एवं विभाग के पत्र दिनांक 10.04.2019 द्वारा जारी दिशा-निर्देश की पालना सुनिश्चित करेगें।
3. उच्च शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 18.01.2018 एवं इस विभाग के परिपत्र दिनांक 10.04.2019 के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालयों का दो माह के अन्दर आकस्मिक निरीक्षण/भौतिक जाँच/सत्यापन कराया जावेगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी।
4. आकस्मिक निरीक्षण/भौतिक जाँच/सत्यापन पर विश्वविद्यालय द्वारा कृषि संकाय हेतु निर्धारित मापदण्ड पूरे नहीं करने अथवा इनके उल्लंघन की स्थिति पाये जाने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय में नवीन प्रवेश पर रोक लगा सकेगी तथा दी गयी अनुमति भी प्रत्याहरित की जा सकेगी।
5. संयुक्त प्रवेश परीक्षा के काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित छात्र के अलावा अन्य किसी माध्यम से कृषि संकाय पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
6. विश्वविद्यालय अपने अधिनियम की पालना हेतु बाध्य रहेगा।

Certified True Copy

Registrar
Jagan Nath University, Jaipur

भवदीय,

Sd-
(प्रहलाद कुमार मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग।
3. कुलसचिव, जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर।

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक-प 8(33)कृषि-3/2018

जयपुर, दिनांक: 22.07.2019

समन्वयक,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2019
कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।

विषय:-जगन नाथ विश्वविद्यालय, चाकसू जिला जयपुर को संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2019 में सम्मिलित करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार जगन नाथ विश्वविद्यालय, चाकसू जिला जयपुर को कृषि संकाय (बी.एस.सी एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम) में संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2019 के माध्यम से 120 (अक्षरे एक सौ बीस) छात्र काउंसलिंग के आधार पर सत्र 2019-20 के लिए आवंटित किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अनुसार एतद द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट में बतायी गयी आधारभूत सुविधाओं की कमी की पूर्ति के साथ-साथ विभाग के द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 10.04.2019 के प्रावधानों के अनुसार एक माह में योग्यता मापदण्डों की पूर्ण पूर्ति की जाना आवश्यक होगा।
2. राज्य सरकार एक दल के माध्यम से बी.एस.सी. एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम के संबंध में संस्था में योग्यता परीक्षण हेतु दो माह पश्चात आकस्मिक निरीक्षण कर सकेगी। इसमें विश्वविद्यालय को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. इस विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार बी.एस.सी. एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित मापदण्ड पूरे नहीं करने अथवा इनका उल्लंघन की स्थिति पाये जाने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय में नवीन प्रवेश पर रोक लगा सकेगी तथा दी गयी अनुमति भी प्रत्याहरित की जा सकेगी।
4. विश्वविद्यालय के कैम्पस में संचालित बी.एस.सी. एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम में सत्र 2019-20 में छात्रों का प्रवेश किसी अन्य प्रकार के माध्यम से नहीं किये जायेंगे।
5. विश्वविद्यालय अपने अधिनियम की पालना हेतु कटिबद्ध रहेगा।

भवदीय,

Certified True Copy

Jagan Nath University, Jaipur

(लाल चन्द गुर्जर)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग।
3. कुलसचिव, जगन नाथ विश्वविद्यालय, चाकसू जिला जयपुर।

क्रमांक - प 3(2)शिक्षा-4/2017 धा

आदेश

राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प. 3(2)शिक्षा-4/2017 दिनांक 18.01.2018 से निजी विश्वविद्यालयों में कृषि पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये। उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसरण में कृषि पाठ्यक्रम संचालन करने हेतु अधिकृत निजी विश्वविद्यालय केवल जेट परीक्षा के माध्यम से कृषि विभाग द्वारा स्वीकृति Intake Capacity की सीमा तक ही छात्रों को बी.एससी. कृषि (ऑनर्स) पाठ्यक्रम में प्रवेश देने हेतु अधिकृत है।

राज्य सरकार को संज्ञात में यह ज्ञात गया है कि उपरोक्त आदेश के जारी होने के उपरान्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचारधीन होने की वजह से कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं के स्तर पर एसोसियेशन ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑफ राजस्थान के द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को बी.एससी. कृषि (ऑनर्स) पाठ्यक्रम में वर्ष 2018-19 के शैक्षणिक सत्र में प्रवेश दे दिया गया है। एसोसियेशन ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑफ राजस्थान के द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर परीक्षण कर व्यापक छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार विभागीय दिशा-निर्देश दिनांक 18.01.2018 के बिन्दु संख्या 11 के प्रावधान में केवल एक नारी छूट सत्र 2018-19 के लिए निम्न शर्तों पर प्रदान करती है :-

1. विद्यार्थियों को प्रवेश सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अविनियम की धारा 32 के अनुसरण में प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही दिया गया हो।
2. कुल प्रवेशित छात्रों की संख्या यदि कृषि विभाग द्वारा स्वीकृत सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित है तो उस सीमा तक अथवा अधिकतम 120 छात्रों तक होगी।
3. यह छूट केवल वर्ष 2018-19 के शैक्षणिक सत्र में बी.एससी. कृषि (ऑनर्स) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ही होगी।
4. आगामी शैक्षणिक सत्र 2019-20 में बी.एससी. कृषि (ऑनर्स) पाठ्यक्रम में प्रवेश विभागीय दिशा-निर्देश दिनांक 18.01.2018 के अनुसार ही किया जायेगा।

Sd-

(डॉ. राजेन्द्र जोशी)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा।

Certified True Copy

Jagan Mohan University, Jaipur

5. सचिव, एसोसियेशन ऑफ सेल्फ फाइनेन्सिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ राजस्थान, जगतपुरा, जयपुर।
6. कृषि पाठ्यक्रम संचालन हेतु अधिकृत सभी निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

24/4

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

A copy of Resolution no. 31.6 passed by the Academic Council, Jagan Nath University, Jaipur held on May 3, 2018.

The Academic Council considered and approved the recommendations of the Admission Committee held on May 3, 2018. It was further resolved to approve the number of seats in various programmes for the academic session 2018-19. The number of seats may be increased / decreased depending upon the need and requirement and in the University interest

For and on Behalf of Academic Council,
Jagan Nath University, Jaipur

Certified True Copy

Registrar
Jagan Nath University, Jaipur

(Tarmay Pattanayak)
Registrar



No. of Sanctioned Seats for Academic Session 2018-19			
Faculty of Management & Commerce			
No	Programmes	Duration	
1	Bachelor of Business Administration (BBA)	3 Years	30
2	Master in Business Administration (MBA) with specialization in Marketing, Finance, HRM and IT.	2 Years	30
3	B.Com	3 Years	30
4	M.Com	2 Years	15
5	B.Voc (Hotel Management)	3 Years	30
6	B.Voc (HTC)	3 Years	120
Faculty of Architecture & Planning			
7	Bachelor of Architecture (B.Arch.)	5 Years	80
8	Master of Planning (M. Plan)	2 Years	15
Faculty of Science			
9	B.Sc.(Ag.) Hons.	4 Years	120
10	Master of Science(Mathematics)	2 Years	15
11	B.Sc.(PCM)	3 Years	30
Faculty of Engineering & Technology			
12	B. Tech	4 Years	CS-60 EC-30 ME-60 CIVIL-60 EE-30
13	M.Tech	2 Years	CS-15 EC-15 ME-15 CIVIL-30 EE-15
14	Bachelor of Computer Applications (BCA)	3 Years	15
15	Master of Computer Applications (MCA)	3 Years	15
Faculty of Law			
16	BA.LLB.	5 Years	120
17	BBA.LLB.	5 Years	120
18	LLM	1 Year	90
Faculty of Education			
18	B.Ed.	2 Years	100
20	MA (Education)	2 Years	15
Department of Arts			
21	B.A.	3 Years	30

Certified True Copy

Registrar


Jagan Nath University, Jipur

746


22	M.A.(Journalism and Mass Communication)	2 Years	10
23	B.A.(Journalism and Mass Communication)	3 Years	15
Department of Physiotherapy			
24	Bachelor of Physiotherapy (BPT)	4 years & 6 monts	60
25	Master of Physiotherapy (MPT)	2 Years	30
Research Programme			
26	Ph.D. in various Faculties	Min. 3 Yrs (including Course Work)	

Note : Reservation & Relaxation of eligibility criteria as per State Govt. policy.

Certified True Copy



Jagan Nath University, Bikaner




A copy of Resolution no. 28.6 passed by the Academic Council, Jagannath University, Jaipur held on May 24, 2017.

The Academic Council considered and approved the recommendations of the Admission Committee held on 6 May, 2017. It was further resolved to approve the number of seats in various programmes for the academic session 2017-18. The number of seats may be increased / decreased depending upon the need and requirement and in the University interest.

For and on Behalf of Academic Council,
Jagannath University, Jaipur

Certified True Copy


Registrar
Jagannath University, Jaipur


(Tanmay Pattanayak)
Registrar


No. of Sanctioned Seats for Academic Session 2017-18
Faculty of Management & Commerce

No	Programmes	Duration	Number of Seats
1	Bachelor of Business Administration (BBA)	3 Years	30
2	Master in Business Administration (MBA) with specialization in Marketing, Finance, HRM and IT.	2 Years	15
3	B.Com	3 Years	15
4	B.Voc (Hotel Management)	3 Years	15
5	B.Voc (HTC)	3 Years	120

Faculty of Architecture & Planning

6	Bachelor of Architecture (B.Arch.)	5 Years	120
---	------------------------------------	---------	-----

Faculty of Science

7	B.Sc.(Ag.) Hons.	4 Years	180
8	B.Sc.(PCM)	3 Years	60

Faculty of Engineering & Technology

9	B. Tech	4 Years	CS-15 EC-15 ME-15 CIVIL-15 EE-15
10	<p style="text-align: center;">Certified True Copy</p> <p style="text-align: center;">Registrar Jagannath University, Jaipur</p>	2 Years	CS-15 EC-15 ME-15 CIVIL-30 EE-15
11	Bachelor of Computer Applications (BCA)	3 Years	10
12	Master of Computer Applications (MCA)	3 Years	10

Faculty of Law

13	BA.LLB.	5 Years	120
14	BBA.LLB.	5 Years	120
15	LLM	1 Year	90

Faculty of Education

16	B.Ed.	2 Years	100
----	-------	---------	-----

Department of Arts

17	B.A.	3 Years	15
----	------	---------	----


Note : Reservation & Relaxation of eligibility criteria as per State Govt. policy.



A copy of Resolution no. 25.04 passed by the Academic Council, Jagannath University, Jaipur held on May 21, 2016.

The Academic Council considered and approved the recommendations of the admission committee held on 18th May, 2016. It was further resolved to approve the number of seats in various programmes for the academic session 2016-17. The number of seats may be increased or decreased depending upon the need and requirement.

For and on Behalf of Academic Council,
Jagannath University, Jaipur


(Tanmay Pattanayak)
Registrar

Certified True Copy

Registrar
Jagannath University, Jaipur



No. of Sanctioned Seats for Academic Session 2016-17			
Faculty of Management			
No	Programmes	Duration	Number of Seats
1	Bachelor of Business Administration (BBA)	3 Years	20
2	Master in Business Administration (MBA) with specialization in Marketing, Finance, HRM and IT.	2 Years	15
Faculty of Architecture & Planning			
3	Bachelor of Architecture (B.Arch.)	5 Years	120
Faculty of Science			
4	B.Sc.(Ag.) Hons.	4 Years	240
5	B.Sc.(PCM)	3 Years	15
Faculty of Engineering & Technology			
6	B. Tech	4 Years	CS-15 EC-15 ME-15 CIVIL-15 EE-15
7	M.Tech	2 Years	CS-15 EC-15 ME-15 CIVIL-30 EE-15
8	Bachelor of Computer Applications (BCA)	3 Years	10
9	Master of Computer Applications (MCA)	3 Years	10
Faculty of Law			
10	BA.LLB.	5 Years	120
11	BBA.LLB.	5 Years	120
12	LLM	1 Year	90

Note : Reservation & Relaxation of eligibility criteria as per State Govt. policy.